बिहार को अनाज की सप्लाई

*771. श्री रामवतार शास्त्री :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को उस राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिये जून के महीने में केन्द्रीय सरकार से सवा दो लाख टन अनाज मिलने की संभावना थी;

(ख) क्या बिहार के खाद्य मंत्री द्वारा 13 जून, 1967 को बिहार विधान सभा में दिये गये वक्तव्य के अनुसार 11 जून, 1967 तक बिहार को केवल 29 हजार मीट्रिक टन अनाज दिया गया था, जबकि उस राज्य को उस तारीख तक एक लाख टन अनाज दिया जाना था;

(ग) क्या कम अनाज दिये जाने के परिणामस्वरूप बिहार में राशन व्यवस्था ठप्प हो जाने तथा अनाज के मूल्य बढ़ जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो बिहार सरकार को पूरा कोटा न भेजे जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। बिहार को जून के लिये खाद्यान्नों (गेहूं तथा माइलो) का मूल आवंटन 2.25 लाख मीटरी टन था।

(ख) बन्दरगाहों से संचलन और डिपो से सप्लाई सहित 10–6–67 तक 36,400 मीटरी टन खाद्यान्न भेज गये थे। इस अवधि में बिहार को संचलन धीमे हुआ। यह मुख्यतः देश की अन्य बन्दरगाहों पर कम आमद और उपलब्धि होने तथा कलकत्ता बन्दरगाह से पश्चिमी बंगाल और असम को स्टाक भेजने के कारण हुआ था।

(ग) बिहार में खाद्यान्नों के वितरण में सख्ती रहेगी क्योंकि बिहार को जो सप्लाई पहुंच रही है वह पर्याप्त नहीं होगी। तथापि, यह आशा है कि वहां पर वितरण ठप्प नहीं होगा।

(घ) वास्तविक सप्लाई वास्तविक उपलब्धि पर निर्भर करनी है जोकि हाल ही में स्वेज नहर के बन्द हो जाने से अत्यधिक सीमित हो गयी है। उपलब्धि तथा अन्य क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप बिहार को अधिकतम मात्रा भेजने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के लिये खाद्यान्न का नियतन

*772. श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मोतिराज सिंह चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश के लिये नियत किये खाद्यान्न के मासिक कोटे की पूरी सप्लाई जनवरी, 1967 से मई, 1967 तक की अवधि में नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो मासिक कोटा कितना नियत किया गया था और वास्तव में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई; और

(ग) यदि मासिक कोटे में कुछ कटौती की गई है, तो कितनी तथा उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). फरवरी 1967 से मई, 1967 तक के महीनों में सप्लाई में कुछ कमी हुई है। जनवरी, 1967 से मई, 1967 तक मध्य प्रदेश को खाद्यान्नों के आवंटित कोटे (गेहूं और माइलो) और की गयी सप्लाई नीचे दी जाती है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

महीना	कोटा	सप्लाई
जनवरी, 67	40.0	41.8
फरवरी, 67	40.0	29.7
मार्च, 67	35.0	24.3
अप्रैल, 67	31.0	27.2
मई, 67	30.5	30.1

(ग) किसी भी राज्य के लिये कोई निर्धारित मासिक कोटा नहीं है। किसी महीने में उपलब्ध मात्रा और अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए राज्यों को खाद्यान्नों की आवंटित मात्राएं प्रत्येक महीने भिन्न भिन्न होती हैं। जून, 67 के लिये राज्य को 31,000 मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किये गये हैं जबकि मई, 1967 में 30.5 हजार मीटरी टन आवंटित किये गये थे।

निर्धनों को कानूनी सहायता

*773. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री वाल्मीकी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों को विभिन्न न्यायालयों में कानूनी सहायता देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बीस वर्ष बीतने पर भी निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० [illegible]) : (क) से (ग). साधारणतया भूमिहीन व्यक्तियों को विधिक सहायता के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जहां तक इस सरकार की जानकारी है, किसी राज्य सरकार ने केवल भूमिहीन व्यक्तियों के लिये कोई स्कीम विरचित नहीं की है।

Fodder Shortage

*774. Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Dr. Karni Singh:
Shrimati Nirlep Kaur:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri D. N. Patodia:
Shri Mohamed Imam:
Shri S. K. Tapuriah:
Shri Gadilingana Gowd:
Shri R. Barua:
Shri S. C. Samanta:
Shri A. K. Kisku:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Yashpal Singh:
Shri Lakhan Lal Kapoor:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri S. Kundu:
Shri A. Sreedharan:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Parkash Vir Shastri:
Shri Raghuvir Singh
Shri Shiv Kumar